राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1268/2024

कुलदीप सिंह यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीएचईडी मुख्य कार्यालय केम्पस, जल भवन, सिविल लाइंस, हसनपुरा रोड, जयपुर (राज.)।
3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिटी सब डिवीजन–IV (दक्षिण), ज्योति नगर, गोपालबाडी, जयपुर (राज.)।
4. निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.03.2024
आदेश की दिनांक : 01.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी.शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं लीव एन्केंसमेन्ट तथा मय ब्याज 9 प्रतिशत वार्षिक दर से सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2023 से प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्कचार्ज आधार पर दिनांक 06.09.1986 को हुई थी और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अर्द्वस्थाई घोषित किया गया और दिनांक 30.11.2023 को अपीलार्थी अधिवार्षिकीय आयु प्राप्त कर स्टोर मुन्शी के पद से सेवानिवृत्ति हो गया। अपीलार्थी को सभी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेशंन, गुच्यूटी एवं लीव एन्केंसमेन्ट आदि का भुगतान नहीं किया गया। जिसकी संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 08.02.2024 को

न्याय की मांग का नोटिस अपने विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 30.04.2021 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 6077/2021 प्रस्तुत की गई। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2021 को अंतरिम आदेश जारी किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 89 के तहत समस्त सेवानिवृत्ति लाभ एवं ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.10.2014 जिसमें राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत यदि कोई कार्मिक/अधिकारी समय पर पेंशन जारी नहीं करता है तो उसे उक्त अधिनियम के तहत दण्डित किये जाने का प्रावधान है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किया जाना उक्त नियमों के विपरीत है। अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं लीव एन्केंसमेन्ट तथा मय ब्याज 9 प्रतिशत वार्षिक दर से सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2023 से प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 06.09. 1986 को दैनिक वेतनभोगी के पद पर हुई थी। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति स्टोर मुन्शी के पद पर नहीं की गई। अपीलार्थी दिनांक 23.11.2023 को सेवानिवृत्त किया जा चुका है। एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 6077/2021 द्वारा अपीलार्थी के स्वयं के द्वारा पदोन्नत किये जाने वाले आदेश पर रोक हेतु उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा है वर्तमान में विभाग द्वारा स्थगन आदेश को हटाने की रिट माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्टोर मुन्शी प्रकरणों के संबंध में गठित संवीक्षा समितियों द्वारा आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के अन्तर्गत अपीलार्थी के स्टोर मुन्शी को अपात्र माना गया है। अपीलार्थी को किसी प्रकार का पेशंन संबंधित भुगतान नहीं किया गया है। बीमा संबंधित भुगतान कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश खारिज किये जाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय के अंतर्गत ही पेंशन निर्धारण कार्यवाही क्रियान्वित की जानी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्कचार्ज आधार पर दिनांक 06.09.1986 को हुई थी और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अर्द्वस्थाई घोषित किया गया और दिनांक 30.11.2023 को अपीलार्थी अधिवार्षिकीय आयु प्राप्त कर स्टोर मुन्शी के पद से सेवानिवृत्ति हो गया। अपीलार्थी को सभी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेशंन, गुच्यूटी एवं लीव एन्केंसमेन्ट आदि का भुगतान नहीं किया गया। जिसकी संबंध में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 30.04.2021 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 6077/2021 प्रस्तुत की गई। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2021 को अंतरिम आदेश जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं लीवएनकेशमेन्ट आदि का भुगतान नहीं किए जाने का प्रश्न है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत है कि एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 6077/2021 द्वारा अपीलार्थी के स्वयं के द्वारा पदावनत किये जाने वाले आदेश पर रोक हेतु उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा है वर्तमान में विभाग द्वारा स्थगन आदेश को हटाने की रिट माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी को किसी प्रकार का पेंशन संबंधित भुगतान नहीं किया गया है। बीमा संबंधित भुगतान कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश खारिज किये जाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश का प्रावकाश (Vacate)/उक्त याचिका निस्तारित होने पर माननीय न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को नियमानुसार समस्त सेवानिवृत्ति लाभ आदि का भुगतान किए जाये। उक्त निर्देशों के साथ अपील निरस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य